भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या – 144**

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को दिया गया)

**कंपनियों द्वारा संग्रहीत सार्वजनिक जमा राशि हेतु बीमा रक्षण**

**\*144. डा. चंदन मित्रा:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या सरकार कंपनियों द्वारा संग्रहीत की जाने वाली सार्वजनिक जमा राशि हेतु अनिवार्य बीमा-रक्षण की व्यवस्था किये जाने का विचार रखती है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
2. सरकार ने कपटपूर्ण तरीके से धन एकत्रित करने वाली योजनाओं से निवेशकों की रक्षा हेतु क्या-क्या नए कदम उठाए हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) और (ख):** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**कंपनियों द्वारा संग्रहीत सार्वजनिक जमा राशि हेतु बीमा रक्षण के संबंध में दिनांक 16.12.2013 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) और (ख):** कंपनी अधिनियम की धारा 73(2) (घ) में एक समर्थकारी प्रावधान है जिसके तहत जनता से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी अनुमति प्राप्त कंपनियों के लिए “यथा-निर्धारित तरीके से तथा यथा-निर्धारित सीमा तक ऐसी जमा राशि बीमा उपलब्ध कराना” अपेक्षित है। इस उपबंध को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से उपयुक्त नियम तैयार करना अपेक्षित होगा।

\*\*\*\*\*